सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
भाद्र 03, गुरूवार, शाके 1944-अगस्त 25, 2022 *Bhadra 03, Thursday , Saka 1944- August 25, 2022*	

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

स्वायत्त शासन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मई 11, 2022

संख्या प.8(ग)( )नियम/डीएलबी/12/10249 :-विभागीय आदेश क्रमांक प.8(ग)( ) नियम/डीएलबी/12/977 दिनांक 06.02.2015 को अतिक्रमित करते हुये राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 337 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, समस्त नगर निगम/परिषदपालिका के सदस्यों को संबंधित निकाय की स्वयं की अर्जित आय में से एतद् द्वारा निम्नानुसार मासिक भत्तों का भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान करती हैः-

निकायो की श्रेणी	टेलीफोन भत्ता रूपये/प्रतिमाह	स्टेशरी भत्ता रूपये/ प्रतिमाह	वाहन भत्ता रूपये/ प्रतिमाह	बैठक में भाग लेने का पारिश्रमिक
नगर निगम	1800	900	1800	720 प्रति बैठक अधिकतम 2160 प्रतिमाह
नगर परिषद	1200	720	1200	600 प्रति बैठक अधिकतम 1800 प्रतिमाह
नगरपालिका	720	600	900	480 प्रति बैठक अधिकतम 1440 प्रतिमाह

राज्यपाल की आज्ञा से,

हृदेश कुमार शर्मा,
निदेशक एवं संयुक्त सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।